

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~चिलेख~~ व भू अभिलेख निरीक्षक ~~चिलेख~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~चिलेख~~ पटवार हल्का ~~चिलेख~~ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०१३-१६ में खाता संख्या १२६ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	चिलेख	126	कुल पास १० भागीदार पास कुल सां ६००	कुल पास १० भागीदार पास कुल सां ६००

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 14/11/22

क्रमांक:- न्यायालय / 2022/309

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~कुल पास १० भागीदार पास कुल सां ६००~~



उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा